[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible] दिनांक 03/12/24 को पेश हो।	
	03/12/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] क्वेश्चन रिपोर्ट पेश की। [illegible] पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 17/12/24 को पेश हो।	
	17/12/24	पत्रावली पेश हुई [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 10/1/25 को पेश हो	
	10/1/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/1/25 को पेश हो	
	23/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष [illegible] वकील उभय पक्षों [illegible] प्राप्त क्वेश्चन रिपोर्ट पर [illegible]। वकील उभय पक्षों ने प्राप्त क्वेश्चन [illegible]	

फर्द अहकाम

डिम्पल कुमार बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

केस संख्या 140/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के वाद को तकासमा हेतु निश्चित किया जाता है तथा बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो तथा बाद पूर्ति शामिल [illegible] हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
140/2023

तारीख दायर
06/10/2023

तारीख फैसला
23/01/2025

1. दिनेश कुमार पुत्र नारायण लाल जाति खटीक निवारी म0नं0 1125, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. नानगराम पुत्र प्रभू
2. काली पत्नी प्रभू
3. प्रहलाद पुत्र प्रभू
4. बंशी पुत्र प्रभू
5. बाबूलाल पुत्र प्रभू
समस्त जाति गुर्जर समस्त निवारी ग्राम निमडीया, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
6. रमेश चन्द पुत्र शिवनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौमुखा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :— वकील वादी।
श्री दीपचन्द महावर :— वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 6

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 1.3525है0 ग्राम निमडीया, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण मे विधिवत सुनवाई करते हुए 19.03.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम निमडीया, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड
जमवा

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
ाली पत्नी प्रभू हि0 1/5 जाति गुर्जर सा0देह ातेदार, दिनेश कुमार पुत्र नारायण लाल हि0 7/1375 जाति खटीक म0 1125, क्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर खातेदार, नानगराम पुत्र भू हि0 168/1375 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, हलाद प्रभू हि0 1/5 जाति गुर्जर सा0देह ातेदार, बंशी पुत्र प्रभू हि0 1/5 जाति गुर्जर ा0देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र प्रभू हि0 1/5 ाति गुर्जर सा0देह खातेदार, रमेशचन्द पुत्र शिवनारायण हि0 8/275 जाति गुर्जर सा0चौमुखा ातेदार।	19	1.325	चाही 4	—
योग	किता 1	1.325	—	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
दिनेश कुमार पुत्र नारायण लाल जाति खटीक हिस्सा पूर्ण निवासी म0 1125, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर खातेदार	19/3	0.0625	चाही 4	—
योग	किता 1	0.0625	—	—
काली पत्नी प्रभू हि0 2565/12200 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, नानगराम पुत्र प्रभू हि0 1567/12200 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र प्रभू हि0 2565/12200 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, बंशी पुत्र प्रभू हि0 2565/12200 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र प्रभू हिस्सा0 2565/12200 जाति गुर्जर सा0देह, रमेशचन्द पुत्र शिवनारायण हिस्सा 373/12200 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	19/1 19/4	0.3800 0.8400	—	—
योग	किता 2	1.2200	—	—
शामलाती	19/2	0.0400	—	—

रोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही ी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया ा। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ा।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ